



Neutral Citation No. - 2026:AHC:179982

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 5299/2026

दानिश अहमद

.....अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

अपीलार्थी (गण) के अधिवक्ता:

अशोक कुमार सिंह बैस, रोहित कुमार सिंह,

शांतनु श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता:

मलिक जुनैद अहमद, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रत्यर्थी के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।

यह आवेदन संबंधित न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई के दौरान, धारा 61(2), 318(4), 316(2), 338, 336(3), 340(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा अपराध संख्या 637/2025 में अपीलार्थी को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थी निर्दोष है और उसे दुर्भावनापूर्ण इरादों से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप है कि आरोपियों ने सूचनादाता को फ्लैट दिलाने का आश्वासन देकर उससे पैसे लिए और बदले में रकम प्राप्त की।

आगे यह भी कहा गया है कि सह-आरोपी हनु गर्ग के आश्वासन पर 24,00,000 रुपये की राशि अपीलार्थी द्वारा संचालित मारिया एंटरप्राइजेज के खाते में स्थानांतरित की गई थी। यह भी कहा गया है कि अपीलार्थी उक्त फर्म, मारिया एंटरप्राइजेज का स्वामी है और अपीलार्थी तथा सह-आरोपी हनु गर्ग एक-दूसरे को जानते थे। सह-आरोपी हनु गर्ग ने अपीलार्थी को बताया कि उसके नाम पर कोई पंजीकृत फर्म नहीं है और उसे कुछ भुगतान प्राप्त होने की संभावना है। इसलिए,

उसने अपीलार्थी से उसकी ओर से मारिया एंटरप्राइजेज के खाते में उक्त भुगतान प्राप्त करने का अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अनुरोध किया। इस अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए, अपीलार्थी ने उक्त फर्म के खाते में राशि प्राप्त की और उसके बाद उसे सह-आरोपी हनु गर्ग को हस्तांतरित कर दिया। यह भी निवेदन किया जाता है कि अपीलार्थी का अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से कोई संबंध नहीं है और उसने अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए किसी भी अपराध में न तो कोई अपराध किया है और न ही उसमें भाग लिया है। अपीलार्थी विवाद को निपटाने के लिए तैयार है और जमानत पर रिहाई की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर शेष राशि सूचनादाता को लौटाने का वचन देता है। यह भी निवेदन किया जाता है कि वर्तमान मामले के अलावा, अपीलार्थी का एक अन्य मामले में आपराधिक इतिहास है, जिसका विवरण इस जमानत आवेदन के परिच्छेद संख्या 16 में विधिवत दिया गया है। अपीलार्थी 12.11.2025 से, यानी नौ महीने से अधिक समय से जेल में बंद है। यह भी निवेदन किया जाता है कि जमानत पर रिहा होने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में लंबित मामलों की भारी संख्या को देखते हुए, निकट भविष्य में मुकदमे की सुनवाई पूरी होने की कोई संभावना नहीं है।

जमानत याचिका का विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने कड़ा विरोध किया है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, अभिलेख, साक्ष्य और आरोपों की प्रकृति तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

तदनुसार, मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, तत्काल जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

अपीलार्थी **दानिश अहमद** को उपरोक्त मामले में व्यक्तिगत मुचलका भरने और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) अपीलार्थी मुकदमे के दौरान साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) अपीलार्थी अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा/धमकाएगा नहीं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) अपीलार्थी निर्धारित तिथि पर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(iv) अपीलार्थी उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा जिसका उस पर आरोप है या संदेह है।

(v) अपीलार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्यों से छेड़छाड़ की जा सके। यह भी निर्देश दिया जाता है कि जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण को स्वीकार करने से पहले संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाए।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, निचली अदालत जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे की विचारण के दौरान मामले के गुण दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(जय प्रकाश तिवारी, न्यायमूर्ति)

25 अगस्त, 2026

के.के. पटेल

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।